# फर्द अहकाम

## न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री पन्ना**
किस्म मुकदमा :– 212 रा.का.अधिनियम

विपक्षी :– **श्री किशन**
पत्रावली संख्या :– **119/25**
जीसीएमएस नम्बर :– **2025/523**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|

दिनांक : 03.02.2026

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया। शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस टी.आई सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस टी.आई पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त आराजीयात के प्रार्थी व विपक्षीगण सहखातेदार हैं। उक्त प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मूल वाद आज दिनांक को स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई हैं। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि विपक्षीगण मौके पर निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं। मूल वाद में अन्तिम डिक्री जारी करने तक निर्माण कार्य नहीं करे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें। न्यायालय का अभिमत है कि मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी हैं। प्रारम्भिक डिक्री की पालना से पूर्व कोई नया निर्माण कार्य मौके पर नहीं हो परन्तु उभय पक्षकारान सहखातेदार होने से यदि केवल विपक्षीगण को ही पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण के साथ कुठाराघात होगा। इसलिए उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है ताकि प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न नहीं हो। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

### –: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 334 पर दर्ज आराजी नम्बर 1731/389, 1732/389, 390, 391, 394 किता 5 कुल रकबा 0.8337 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाये रखें। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:30:14 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सिरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली